उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

दाण्डिक अपील संख्या 19/2014

सुनील पटवाल ..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रत्यर्थी

श्री रामजी श्रीवास्तव, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
श्री अमित भट्ट, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता।

साथ

दाण्डिक अपील संख्या 05/2014

आनंद शर्मा ..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रतिवादी

श्री तपन सिंह, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
श्री अमित भट्ट, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता।

निर्णय की तारीख : 22.07.2022

कोरम : माननीय संजय कुमार मिश्रा, जे.
माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

प्रति : संजय कुमार मिश्रा, जे.

1. अपीलार्थी सुनील पटवाल और आनंद शर्मा ने विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा सेशन ट्रायल नं. 87/2004, राज्य बनाम चतरू उर्फ गोविंद और अन्य, दिनांकित 21.12.2013, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसके पश्चात् 'दंड संहिता' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 302, 364 और 201 सपठित धारा 34 के अधीन दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास और जुर्माना रु0 3000/– प्रत्येक, जुर्माने

के भुगतान की चूक में तीन महीने के साधारण कारावास, भा.दं.सं. की धारा 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के लिए कठोर कारावास के साथ जुर्माना रु0 2000/– प्रत्येक, और जुर्माने के भुगतान की चूक में, दो महीने की साधारण कारावास और भा.दं.सं. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माना 1000/– प्रत्येक, जुर्माना राशि के भुगतान की चूक में एक महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है, को चुनौती दी गई है।

2. कुल 5 अभियुक्त व्यक्तियों पर धारा 302, 364, 201 एवं 147 दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। इनमें से आरोपी चटरू उर्फ गोविंद, विशाल और अजय शर्मा उर्फ गोली (सेशन ट्रायल नं. 87/2004 में) को अपराधों से बरी कर दिया गया और मौजूदा अपीलार्थी सुनील पटवाल और आनंद शर्मा को उपरोक्त रूप में दोषी ठहराया गया।

3. अनावश्यक विवरणों के अभाव में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 09.03.2003 को शिकायतकर्ता रमेश कुमार ने अन्य बातों के साथ–साथ थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला हरिद्वार के समक्ष एक प्राथमिकी प्रस्तुत की जिसमें आरोप लगाया कि उसके पुत्र सोनी उर्फ राजेश को 04.03.2003 को लगभग 11:00 बजे पूर्वाहन को अनिल कुमार पुत्र डोरी लाल 10,000/– रुपये की बकाया राशि का निपटान करने के लिए अपने घर ले गया। लेकिन तब से उसका बेटा घर नहीं लौटा और उसके ठिकाने का पता नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के अन्वेषण के लिए प्रार्थना की।

4. ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, एक आपराधिक मामला सं0 73/2003 दंड संहिता की धारा 364 के तहत दर्ज किया गया और मामले का अन्वेषण शुरू किया गया। अन्वेषण के दौरान, उन्होंने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से पूछताछ की। अन्वेषण के दौरान उन्हें आगे बताया गया कि 10.03.2003 को उन्हें मृतक का शव नील धारा गंगा जी ठोकर नं. 10 नदी में तैरते हुए पाया गया और उन्होंने आगे प्रार्थना की कि आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके बाद, अन्वेषण अधिकारी ने नदी से शव बरामद किया, उस पर जाँच की और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

5. अन्वेषण के दौरान, उन्होंने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, भौतिक वस्तुओं को जब्त किया और अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त अपीलार्थियों और अन्य के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष

ने साधारण अस्वीकृति का तर्क लिया। अपने मामले को साबित के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों को परीक्षित कराया और कई दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में साक्ष्य में प्रस्तुत किया।

6. पीडब्लू 2 रमेश कुमार मामले के शिकायतकर्ता हैं। वह मृतक का पिता भी है। पीडब्लू 1 श्रीमती नीतू मृतक की पत्नी है, जिसने 4 मार्च, 2003 को लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न आरोपी अनिल कुमार और दो अपीलार्थियों को आखिरी बार देखे जाने के बारे में बताया है। पीडब्लू 04 राम अवतार मुख्य गवाह है जिसके साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष ने अत्यधिक भरोसा किया। उसे विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार किया गया है। वह नदी से मृतक के शव के बरामद होने का भी गवाह है। पीडब्लू 5 प्रीत कमल पंचनामे के गवाह हैं। अन्य गवाह शासकीय गवाह हैं। पी0डब्लू 3 डॉक्टर है, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया। पीडब्लू 7 नरेश चंद्र आजाद और पीडब्लू 8 विजय कुमार इस मामले के दो अन्वेषण अधिकारी हैं। बचाव पक्ष ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया और ना ही साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

7. विद्वान विचारण न्यायाधीश, मृतक की मृत्यु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसे पीडब्लू 1 श्रीमती नीतू के साक्ष्य के साथ डूबने के कारण बताया गया है, जिन्होंने आखिरी बार मृतक को दो अपीलार्थियों के साथ देखा था और अभिकथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू 4 राम अवतार वर्मा की गवाही के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और इसलिए, इन दोनों अपीलार्थियों को ऊपर बताए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

8. उपर्युक्त मामले में दो अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, श्री रामजी श्रीवास्तव ने यह अभिकथन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का निर्णय इस आधार पर गलत है कि पीडब्लू 4, जिसे घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार किया गया था, अधिक से अधिक संयोग–गवाह है। उन्होंने पुनः यह तर्क दिया कि अभियोजन 04.03.2003 को घटना के समय या मृत शरीर की बरामदगी के समय अर्थात् 09.03.2003 को उसकी उपस्थिति की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। पीडब्लू 4 के साक्ष्य की आलोचना करते हुए, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह अभिकथन किया कि मृतक पर अभिकथित हमले एवं हमले को देखने के समय के साथ–साथ मृतक के शव की नदी से बरामदगी के समय पी0डब्लू 4 की उपस्थिति अस्वाभाविक प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उसे

अभियोजन पक्ष के एक चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके पश्चात् 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पीडब्लू 4 ने 6–10 मार्च, 2003 के बीच की घटना के बारे में खुलासा नहीं किया है, यह तथ्य उसने जिरह में स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने यह मामला प्रस्तुत किया कि मृतक पर लोहे की रॉड (सरिया) के माध्यम से हमला किया गया था, मृतक के शव पर कोई चोट नहीं मिली थी जो किसी कठोर और कुंद वस्तु/हथियार के कारण हो सकती थी तथा मृतक की मौत डूबने के कारण हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री रामजी श्रीवास्तव ने यह अभिकथन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और अपीलार्थियों को दी गई सजा, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुचित अभिमुल्यन पर आधारित है और इसलिए, न्यायालय को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर अविश्वास करना चाहिए, ताकि दोषसिद्धि को अपास्त करके अपील को स्वीकार किया जा सके और ऊपर वर्णित अपराधों के लिए अपीलकर्ता को बरी किया जा सके।

9. विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अमित भट्ट ने अभिकथन किया कि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और चश्मदीद गवाहों के कथन और मृतक की मृत्यु की प्रकृति यह साबित करती है कि मृतक पर अपीलकर्ताओं और अनिल द्वारा हमला किया गया था और उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, उसकी डूबने से मृत्यु हो गई और इसलिए, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और उन्हें दी गई सजा की पुष्टि करते हुए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. चाहे यह हमारे द्वारा कहा गया है कि अनिल को मुकदमे के दौरान जमानत दी गई थी और वह फरार हो गया था, और इसलिए, उसके खिलाफ मामला अलग किया गया था। सुनवाई के दौरान पीडब्लू 4 की परीक्षा के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 302, 364, 201 और 34 के तहत अपराध का संज्ञान भी लिया और एक सुनीता चौहान के खिलाफ दिनांक 10.07.2008 के आदेश के तहत आदेशिका भी जारी की। तथापि, यह न्यायालय आपराधिक पुनरीक्षण सं. 144/2008 को स्वीकार करते हुए 31.07.2013 को संहिता की धारा 319 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने उक्त सुनीता चौहान के विरुद्ध आदेशिका जारी करने में त्रुटि की है। फिर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा संहिता की धारा 319 के तहत पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया।

11. इस प्रकार, अभिलेख की सामग्री के साथ–साथ विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में निम्नलिखित साक्ष्य सामने आ रहे हैं और यह पता लगाने के लिए कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कायम रखने योग्य हैं या नहीं, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना हमारा कर्तव्य है। तथ्य/साक्ष्य यहाँ नीचे दिए गए हैं:

(i) मृतक की मृत्यु की प्रकृति।

(ii) फरार आरोपी अनिल और मौजूदा दो अपीलार्थियों के साथ मृतक को आखिरी बार देखा गया।

(iii) चश्मदीद गवाह पीडब्लू 4 का वर्णन, जिसे एक संयोग गवाह कहा जाता है।

12. साक्ष्य के इन घटकों को लेते हुए, एक–एक करके, पहले यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि मृतक की मृत्यु ऐसे हुई है, जिसे हत्या कहा जाना चाहिए। पीडब्लू 3 डॉक्टर एस. सी. श्रीवास्तव ने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया है। उन्होंने सशपथ यह अभिकथन किया है कि 11.03.2003 को उन्हें जिला मुख्यालय अस्पताल, हरिद्वार में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन लगभग 10:30 बजे पूर्वाह्न उन्होंने सीपी 633 होशियार सिंह और सीपी 109 विजेंद्र सिंह द्वारा पहचाने गए राजेश के शव का पोस्टमॉर्टम किया। पोस्टमॉर्टम के समय जाँच में उन्होंने पाया कि शव क्षत–विक्षत अवस्था में था। उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई :

(i) खुर्सट लिए नीलगू निशान 7 सेमी गुणा 5 सेगी, सूजन सहित 10 सेमी गुणा 8 सेमी, माथे व सिर के दाहिनी तरफ दाहिनी भौं से 5 सेमी0 उपर।

(ii) खुर्सट लिए नीलू सूजन सहित 4 सेमी. गुणा 2 सेमी, चेहरे के दाहिनी तरफ, दायीं आंख से 1 सेमी नीचे।

(iii) कई खुर्सट लिए नीलगू 11 सेमी गुणा 9 सेमी. के क्षेत्रफल में चेहर के दाहिनी तरफ।

अंग्रेजी में अभिकथित करते हुए, यह देखा गया है कि पोस्टमॉर्टम जांच में डॉक्टर को दाहिने तरफ के सिर और चेहरे पर दाहिने तरफ खरोंच और सूजन मिली। आंतरिक जांच में, उन्होंने मस्तिष्क में रक्त के थक्के और रक्तस्राव पाया। दोनों फेफड़े फूल रहे थे, रक्तस्राव हो रहा था और पानी से भर गए थे। उन्हें पेट में एक लीटर अर्ध–पचा हुआ भोजन मिला। पेट में पानी भरा हुआ था। पोस्टमॉर्टम के समय, डॉक्टर ने कहा कि मृतक की मृत्यु पानी में फेंकने, जिसके परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई। उन्होंने आगे मृत्यु का समय पोस्टमॉर्टम परीक्षा

से 3 से 5 दिन पहले निर्धारित किया। जिरह उन्होंने कहा है कि मृतक के शरीर पर पत्थर पर गिरने से चोट लग सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृत्यु 5 से 7 दिन पहले हो सकती थी।

13. इस प्रकार, डॉक्टर के साक्ष्य के विश्लेषण से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। शव पर मिले चोट के निशान मृतक के पत्थर की सतह पर गिरने के कारण हो सकती है। मृतक के शव पर कोई चोट नहीं मिली जो कठोर और कुंद वस्तु से कारित हुई हो। डॉक्टर ने निश्चित रूप से यह नहीं कहा है कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी। इस प्रकार, मृतक की मृत्यु के संबंध में निष्कर्ष अर्थात यह कहना कि यह हत्या थी या नहीं, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर निर्भर करेगा और डॉक्टर का साक्ष्य स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु निश्चित रूप से हत्या थी।

14. साक्ष्य के दूसरे घटक पर आते हुए, यह दर्शित होता है कि पीडब्लू 1 का कथन बहुत प्रासंगिक है। वह मृतक की पत्नी है। उसने शपथ पर कहा है कि 4 मार्च, 2003 को फरार आरोपी अनिल उनके घर आया और उसके पति को बुलाया। उसने आगे कहा कि अनिल ने उसके पति के 10, 000/—रूपये ले रखे थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। उसके पति ने अनिल से कई बार उसे वापस करने के लिए कहा था, लेकिन वह उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सुसंगत तिथि पर, अनिल उसके पति के पास आया और कहा कि वह खाते का निपटान करेगा और इसलिए, उसका पति उसके साथ चला गया। उस समय गवाह मृतक के पास खड़ा था। उसने यह भी देखा कि दो अन्य लड़के अनिल के साथ खड़े थे। उसने उन दो व्यक्तियों की पहचान सुनील पटवाल और आनंद शर्मा, अर्थात, हमारे सामने दो अपीलार्थियों के रूप में की है। उसने आगे कहा है कि उसने तीन अभियुक्तों को उसके पति को ले जाते देखा है। उसने आगे कहा है कि उसका पति वापस नहीं आया। इसके बाद, वे उसे ढूंढते हैं लेकिन वे कोई सुराग नहीं मिल सका और संदेह हुआ कि अपीलार्थी और अनिल ने उसकी हत्या की हो सकती है। तीन व्यक्तियों के अलावा, दो अन्य व्यक्ति जो बगल में खड़े थे, उनके नाम विशाल और गोली हैं, जिन्हें तब निचली अदालत ने बरी कर दिया है। जिरह में उसने कहा है कि वह 5 मार्च, 2003 को पुलिस के पास गई थी। सुनील पटवाल और आनंद अपने घर के अंदर नहीं आए। वे चौक पर लगभग 3 फीट की दूरी पर खड़े थे। उसने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान दिया है कि उस समय वह अपने पति के पास खड़ी थी और उसने तीन अभियुक्तों को अपने पति को ले जाते देखा था, जो उसने पहली बार अदालत में कहा था। उसने कानूनी

सलाह लेने के बाद न्यायालय में पहली बार ऐसा कहा है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस गवाह ने उस घटना के बारे में कहा है कि मृतक अनिल और अन्य दो व्यक्तियों (अपीलार्थी) के साथ 4 मार्च, 2003 को आया था और वह भी उसने इस घटना के बारे में विशेष रूप से अन्वेषण अधिकारी के समक्ष नहीं बताया है और उसने कानूनी सलाह लेने के बाद न्यायालय में पहली बार ऐसा कहा है। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करना केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए असुरक्षित होगा कि अपीलार्थी निश्चित रूप से अंतिम बार 04.03.2003 को मृतक की संगति में देखे गए थे।

15. यह चिरप्रचलित है कि जब भी अभियोजन पक्ष मृतक के अंतिम बार देखे जाने से सम्बन्धित साक्ष्य पर भरोसा करता है, तो न्यायालय या अपीलीय न्यायालय को ऐसे बयानों पर तभी भरोसा करना चाहिए जब मृतक के 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' और अभियुक्त और मृत शरीर की खोज के बीच का समय अंतराल इतना छोटा है कि इस बीच में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं थी। इस संबंध में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित पूर्व निर्णय को विचार में लेते हैं :

16. रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी खन्ना और अन्य बनाम म0 प्र0 राज्य (2006) 34 एससीसी 172 के मामले में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम बार देखा गया सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहां उस समय के बीच का समय अंतराल, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और मृतक पाया जाता है, इतना छोटा है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने की संभावना असंभव हो जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि ऐसे मामले में भी न्यायालय को कुछ गवाही से सम्पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।

17. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, (2005) एस. सी. सी. 114 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम बार देखा गया सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहां अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय–अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, जब एक लंबा अंतराल होता है और बीच में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में में यह निष्कर्ष निकाला जा

सकता है कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा। इसी प्रकार, बोधराज उपनाम बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2002) एस. सी. सी. 45 के मामले में, पिछले पैराग्राफ में बताए गए सिद्धांतों को दोहराया गया था।

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल पीडब्लू 1 के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। तथापि, यदि साक्ष्य का अन्य पुष्टिकारक अंश है तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को परिस्थिति के रूप में लिया जा सकता है, यदि उसे बचाव पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं गया है, अपीलार्थियों के विरुद्ध फंसानेवाला कहा जा सकता है और आगे इस न्यायालय को पीडब्लू 4 के साक्ष्य की जांच करनी है, जिसे इस मामले में एक चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

19. पीडब्लू 4 राम अवतार वर्मा ने शपथ लेते हुए कहा है कि 04.03.2003 को उन्हें शिव लोक कॉलोनी में किसी कार्य में भाग लेना था। जब वे कॉलोनी में जा रहे थे तो उन्होंने वहां स्थित इमारत की छत से 'हाय हाय' चिल्लाने की आवाज सुनी। ऐसी आवाज सुनकर वह सीढ़ियों पर चढ़ गया और पाया कि तीन व्यक्ति, आनंद शर्मा, सुनील पटवाल और अनिल, एक लड़के पर गंभीर हमला कर रहे थे। उस समय घर से एक महिला बाहर आई जिसका नाम सुनीता चौहान है। उसने आनंद शर्मा को एक लोहे की रॉड सौंपी और मृतक को न छोड़ने के लिए कहा और आगे निर्देश दिया कि उसे मार दिया जाए और गंगा नदी में फेंक दिया जाए। नतीजतन, गवाह डर गया और उस घर से नीचे आ गया। कुछ देर बाद वह आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि घायल को महिंद्रा जीप में लादा गया और उसे उस जगह से ले जाया गया।

20. उन्होंने शपथ पर आगे कहा है कि वे गंगा नदी के तट पर टहला करते थे। 10.03.2003 को वह गंगा नदी के किनारे टहल रहा था, उसने नदी के किनारे शव देखा। शव को देखकर, वह जान सका कि शव उस व्यक्ति का है, जिस पर दो अपीलार्थियों और अनिल ने महिला सुनीता चौहान द्वारा उकसाने पर हमला किया था। उसने आगे देखा कि मृतक के पिता शव के पास रो रहे थे। गवाह ने आगे कहा कि उसने मृतक के पिता को सांत्वना दी और कहा कि उसने उनके बेटे पर हमला देखा है। जिसके परिणामस्वरूप, मृतक के उक्त पिता, जिनसे पीडब्लू 2 के रूप में पूछताछ की गई है और इस मामले में शिकायतकर्ता है, ने निरीक्षक को गवाह की प्रत्यक्ष जानकारी के बारे में बताया। इसके बाद निरीक्षक ने कहा कि उसे पहले पंचनामा की औपचारिकता पूरी

करनी है और फिर वह गवाह को सुनेगा। उन्होंने आगे कहा कि इंस्पेक्टर ने उनका कथन नहीं सुना था।

21. जिरह में इस गवाह ने कहा है कि वह खिलौने बेचकर अपनी आजीविका कमाता है। 04.03.2003 को संयोग से, वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में अकेले शिव लोक कॉलोनी गया जो उसके साथ काम कर रहा था और झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में रह रहा था। उन्होंने आगे शपथ लेते हुए कहा कि नौकर का नाम अनिल था जो विशांबर का बेटा था और उसने गवाह को बताया कि वह शिव लोक कॉलोनी में रह रहा था, लेकिन उसने अपने घर का नंबर नहीं दिया है। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उस दिन से पहले वह कभी भी शिव लोक कॉलोनी नहीं गया तथा अनिल पुत्र विशंबर पिछले 5 से 6 वर्षों से उसके साथ काम कर रहा था। उसंने आगे कहा कि वहां लगभग 10–15 घर थे और वह घटना स्थल पर बने घरों की संख्या नहीं बता सकता। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय शिव लोक कॉलोनी की सड़क पर लगभग 30 से 40 लोग पैदल चल रहे थे। उनमें से कुछ स्कूटर पर थे। उसने स्वीकार किया कि आवाज दो मंजिला इमारत से आ रही थी। उस समय गवाह के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। उसने किसी को नहीं बुलाया। उसने यह भी बताया कि शिव लोक कॉलोनी में हुई घटना को देखने के बाद वह अपने घर वापस आ गया।

उसने आगे कहा कि वह घटना से 5 से 6 महीने पहले से सुनीता चौहान से परिचित था और उनके पति धोबी थे और उनके बीच विवाद था। उसने इस बात से इंकार किया कि उसे सुनीता चौहान और उसके कुछ दोस्तों के बीच विवाद के बारे में या उनके बीच मामले लंबित होने की कोई जानकारी थी। गवाह ने यह भी कहा कि वह पुलिस स्टेशन और सिटी मजिस्ट्रेट के कमांडिंग कार्यालय की अवस्थिति को जानता है।

जिरह में उसने आगे कहा है कि वह अचानक मौके पर पहुंचा। उसने अन्वेषण अधिकारी के सामने कोई बयान नहीं दिया। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कहा कि शिव लोक कॉलोनी उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है और पुलिस अधिकारी ने उसे पंचनामे में गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया है। पीडब्लू 4 के साथ पीडब्लू 2 के बयानों के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि जब नदी के किनारे शव पड़ा मिला तो पीडब्लू 4 राम अवतार भीड़ में था। पीडब्लू 2 ने कहा कि 04.03.2003 को, अपीलार्थी और फरार अनिल कुमार उस शिव लोक कॉलोनी में मृतक पर हमला कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि जब मृतक बेहोश हो गया तो वे उसे एक जीप में ले गए, जिसमें दो

अन्य व्यक्ति मौजूदा थे। उसने मुखबिर के सामने महिला सुनीता चौहान की संलिप्तता के बारे में भी बताया है। जिरह में उसने आगे कहा कि संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि राम औतार ने उसे अपने बेटे पर हमले के बारे में बताया था।

जिरह पीडब्लू 6 स्टेशन हाउस ऑफिसर जोगेंद्र सिंह ने शपथ लेते हुए कहा कि न तो शिकायतकर्ता और न ही मृतक की पत्नी ने संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयानों में खुलासा किया कि राम औतार पुत्र वीरमन वर्मा मौके पर मौजूद था।

22. इस प्रकार, बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता पीडब्लू 2 के बयान में प्रमुख विरोधाभासों को सामने लाया गया है। पीडब्लू 2, शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 161 के तहत बयान में घटना के समय एकमात्र चश्मदीद गवाह पीडब्लू 4 की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया है। पीडब्लू 4 ने कहा है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति में भी सक्रिय है, लेकिन उसने किसी भी अधिकारी या पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति एक संयोग गवाह है, उसके साक्ष्य पर शुरू से ही अविश्वास नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष और गवाह को प्रासंगिक समय पर मौके पर गवाह की उपस्थिति को स्पष्ट और न्यायोचित ठहराना चाहिए।

23. राजेश यादव और एक अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य (2002) एससीसी ऑनलाइन एससी 150 के मामले में, एक संयोग गवाह के मूल्य पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संयोग गवाह वह है जो संयोग से और इसलिए प्राकृतिक रूप से नहीं, अपराध की घटना के स्थान पर मौजूदा होता है। दूसरे शब्दों में, माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि उसका उस स्थान पर होना सम्भावित न हो। सड़क पर किसी अपराध के गवाह के रूप में काम करने वाले व्यक्ति से तारांकित गवाह के रूप में पूछताछ की जा सकती है। केवल इसलिए कि घटना को देखने के लिए गवाह संयोग से उपस्थित था, उसकी गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, हालांकि कभी–कभी थोड़ी और जांच की आवश्यकता हो सकती है।

24. इस प्रकार, एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सावधानीपूर्ण और करीबी जांच की आवश्यकता होती है और एक संयोग गवाह को घटना के समय अपनी उपस्थिति की पर्याप्त व्याख्या करनी चाहिए। संयोग गवाह की गवाही, जिसकी घटना के स्थान और समय पर उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। घटना के बाद संयोग गवाह के आचरण को

विशेष रूप से ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या उसने घटना के बारे में गाँव में किसी और को सूचित किया है।

इस गवाह के साक्ष्य को देखते हुए हम पाते हैं कि पीडब्लू 4 राम अवतार ने कहा कि वह एक नौकर अनिल की तलाश में 04.03.2003 को शिव लोक कॉलोनी गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में उक्त अनिल से कभी पूछताछ नहीं की। इसलिए, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि इस अपीलकर्ता का नौकर वास्तव में शिव लोक कॉलोनी में रह रहा था या नहीं। गवाह पीडब्लू 4 का आचरण भी इस तथ्य को ध्यान द्वारा रखते हुए संदिग्ध हो जाता है कि फरार आरोपी अनिल को लोहे की रॉड सौंपने वाली एक महिला द्वारा मृतक पर किए गए हमले को देखने के बाद, उसने किसी को भी इसका खुलासा नहीं किया, हालांकि 30–40 लोग उस सड़क से गुजर रहे थे और वह बस अपने घर वापस चला गया और शांत हो गया। उसने इसका खुलासा किसी के सामने नहीं किया।

छह दिनों के पश्चात् अर्थात् 10 मार्च, 2003, मृत शरीर की बरामदगी तक वह चुप रहा। उसका यह बयान कि उसने मृतक के शव की बरामदगी के समय सूचनाकर्ता पीडब्लू 2, जो मृतक का पिता है, के सामने इसका खुलासा किया, इस तथ्य से भी गलत है कि पीडब्लू 2 ने स्वयं अन्वेषण अधिकारी के सामने संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में यह नहीं कहा था कि राम अवतार ने अपीलकर्ता और अन्य लोगों द्वारा मृतक पर हमले के बारे में उसके सामने खुलासा किया था। गवाह को पंचनामे के गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि यह अन्वेषण के प्रभारी निरीक्षक की जानकारी में लाया गया था कि गवाहों ने घटना को देखा था और अन्वेषण संस्था द्वारा इसके बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया था, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे स्वयं पीडब्लू 4 द्वारा विवादित नहीं किया गया है, कि अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान उसका बयान दर्ज नहीं किया।

25. इस प्रकार, इस संयोग गवाह के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, यह प्रतीत होता है कि उसे 'पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह' नहीं माना जा सकता है। उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

26. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 (जिसे बाद में ''साक्ष्य अधिनियम'' के रूप में संदर्भित किया गया है) में यह प्रावधान है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक भी गवाह पर विचार

किया जा सकता है और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। संदर्भ के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 को नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

> "**134. साक्षियों की संख्या–** किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।"

27. इसलिए, साक्ष्य के अभिमुल्यन में यह चिरप्रचलित है कि एक सच्चा गवाह एक हजार से कहीं अधिक झूठे गवाहों पर भारी हो सकता है। एक एकल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को विश्वसनीय होने के लिए विश्वसनीयता के परीक्षण को पास करना होता है। हमने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि एक अकेले प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कार्यवाही करने से पहले न्यायालय को मामले की उपस्थित परिस्थितियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी स्वतंत्र गवाही से सम्पुष्टि करनी चाहिए। उस मामले में दिखाई देने वाली वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के संदर्भ में एक अकेले चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का परीक्षण करना विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी है।

28. इस मामले में, पिछले पैराग्राफ में हमारे द्वारा बताई गई खामियों के अलावा, हम यह भी पाते हैं कि एकमात्र चश्मदीद गवाह का साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य की असम्पुष्टि से प्रभावित है। जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की है, डॉक्टर ने राय दी है कि मृतक के शव पर पाई गई चोटें खरोंच और चोट आदि थीं, जो पथरीली सतह पर गिरने के कारण हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर को मृतक के शरीर पर सरिया (लोहे की रॉड) अर्थात्, एक कठोर और कुंद वस्तु के कारण आई कोई चोट नहीं मिली। इस प्रकार, इस गवाह को एकमात्र संयोग गवाह के रूप में परीक्षण करने पर, हम इस पर अंशतः विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण पाते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसे 'पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह' नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके आधार पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। यहां तक कि अगर हम उसे एक ऐसा गवाह मानते हैं जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है, तो भी अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में उपस्थित परिस्थितियां सामने नहीं आ रही हैं।

29. वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (1957) एस. सी. आर. 981 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहली बार गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत

किया है। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं, (1) पूर्णतया विश्वसनीय गवाह, (2) ऐसे गवाह जो पूर्णतया अविश्वसनीय नहीं हैं और (3) न तो पूर्णतया विश्वसनीय हैं और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय गवाह हैं। अधिकांश गवाह तीसरी श्रेणी में आते हैं। वादिवेलु थेवर (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक अकेले गवाह पर भरोसा करने के लिए, जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है, न्यायालय को मामले की उपलब्ध परिस्थितियो में कुछ स्वतंत्र सम्पुष्टि की मांग करनी चाहिए। इस मामले में, हम उपलब्ध उपस्थित परिस्थितियों से कोई सम्पुष्टि नहीं पाते हैं। चिकित्सा साक्ष्य ने पीडब्लू 4 के साक्ष्य का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पीडब्लू 4 का साक्ष्य दुर्बलता से ग्रसित है, क्योंकि वह एक संयोग गवाह है और मौके पर उसकी उपस्थिति को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। हमले को देखने के बाद 6 दिनों तक उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसका यह बयान कि उसने मृतक के पिता को इसका खुलासा किया था, भी गलत है और उसका बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत कभी दर्ज नहीं किया गया था।

30. मामले के दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर आकर कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है, अभिलेख पर त्रुटि की है। इसलिए, हम दोषसिद्धि को अपास्त करने के लिए पर्याप्त आधार पाते हैं। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित दोषसिद्धि और आदेश 21.12.2013 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उनके जमानत बंधपत्र को निरस्त करके उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

अवर न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय में वापस भेजा जाए।

(आलोक कुमार वर्मा, जे.) **(संजय कुमार मिश्रा, जे.)**

(नियमों के अनुसार तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान करें)